

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 1, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

{समक्ष : डी.एस.मण्डलोई}

व्यवहार वाद क्र.- :-75ए/2014

संस्थापन दिनांक :09/03/2011

1. सदाराम पिता दयाराम, उम्र 36 साल, जाति गोवारा
निवासी करमसरा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. ईशाराम पिता दयाराम, उम्र 33 साल, जाति गोवारा,
निवासी करमसरा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. भागरताबाई पति स्व.दयाराम, उम्र 60 साल, जाति गोवारा,
निवासी करमसरा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. मयाराम पिता स्व. गन्नु, उम्र 50 साल, जाति गोवारा,
साकिन कटंगी तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. काटनबाई पति लाला, उम्र 47 साल, जाति गोवारा,
साकिन कालेगांव तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. राटनबाई पति तिजू, उम्र 44 साल, जाति गोवारा,
साकिन टिंगीपुर तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
7. सातनबाई पति दादूराम, उम्र 41 साल, जाति गोवारा,
साकिन गोहारा तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)..... वादीगण

बनाम

1. आशाराम पिता गन्नु, उम्र 46 साल, जाति गोवारा,
साकिन देवटोला वार्ड नं. 4 बालाघाट तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सन्तराम पिता परसराम, उम्र 56 साल, जाति गोवारा,
साकिन कटंगी तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)..... प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री आर.आर.पटले अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, की ओर से श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 3 एकपक्षीय।

-//02//-

व्यवहार वाद क.- :-75ए/2014

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 18/09/2014 को घोषित किया गया)

(01) वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा कटंगी प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 160/01 रकबा 0.12 डिसमिल भूमि निष्पादित विक्रयपत्र को अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित करने बाबद् पेश किया है।

(02) प्रकरण में निर्विवाद स्वीकृत तथ्य यह है कि वादग्रस्त भूमि मौजा कटंगी प. ह.नं. 18 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 160/01 रकबा 0.50 डिसमिल भूमि मूल पुरुष गन्नु की है और गन्नु की मृत्यु के उपरान्त राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम वारसान दर्ज हुआ।

(03) वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 ही परिवार के सदस्य है और उसने संयुक्त परिवार की खानदानी वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के मूल पुरुष गन्नु के नाम की राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। मूलपुरुष गन्नु की मृत्यु उपरान्त राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम वारसान दर्ज हुआ। वादीगण खानदानी भूमि मौजा कटंगी प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 160 रकबा 50 डिसमिल में से 38 डिसमिल भूमि झूरनीबाई के उपचार के लिये लीलाबाई को विक्रय कर दी। संयुक्त परिवार की खानदानी भूमि में से शेष बची भूमि मौजा कटंगी प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित ,खसरा नंबर 160/1 रकबा 0.12 डिसमिल भूमि बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय कर दी है। वादग्रस्त शेष रही 0.12 डिसमिल भूमि का बंटवारा नहीं हुआ। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादीगण के हक को नष्ट करने के लिये प्रतिवादी क्रमांक 2 को दिनांक 12.01.2009 को विक्रय कर दी। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वादीगण पर बन्धनकारी नहीं है विक्रय पत्र प्रभाव शून्य है। अतः विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर वांछित अनुसंतोष वादीगण को प्रदान किया जावे।

(04) प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत कर वादपत्र के सभी सारभूत अभिवचनों को अस्वीकार कर विशिष्ट कथन किये गए है कि वादीगण ने हक व हिस्से की 0.38 डिसमिल भूमि लीलाबाई को विक्रय कर दी है शेष भूमि 0.12

डिसमिल उसके हिस्से में आयी थी उसे घरेलु खर्च के लिये रुपये की आवश्यकता होने से उसने दिनांक 12.01.2009 को उसके हिस्से की 0.12 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय कर कब्जा दे दिया है। उक्त भूमि पारिवारिक व्यवस्था एवं सभी वादीगण की सहमति से राजीनामा होने के उपरान्त राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हुआ और उसी का कब्जा चला आ रहा था। वादीगण ने यह वाद लोभ लालच में आकर यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

(05) प्रतिवादी क्रमांक 3 मध्यप्रदेश शासन को विधि के आलोक में पक्षकार बनाया गया है उससे किसी प्रकार का कोई अनुतोष वांछित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 3 बिना प्रतिरक्षा के प्रस्तुत किए पूर्व से अनुपस्थित रहा है, जिसके कारण प्रतिवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

(06) मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नांकित वाद-विषय विरचित किये गये है जिनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये जा रहे है :-

| क. | वादप्रश्न | निष्कर्ष |
|----|--|---|
| 1 | क्या विवादित भूमि खसरा नम्बर 160/01 रकबा 0.12 डिसमिल स्थित मौजा कटंगी प.ह.नं. 18 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट की भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 की संयुक्त स्वत्व की भूमि है ? | हाँ |
| 2 | क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा संयुक्त स्वत्व की भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 2 को अवैध विक्रय किया है ? | 1/7 भाग से अधिक किया गया विक्रय पत्र अवैध । |
| 3 | क्या अवैध विक्रय होने से विक्रय पत्र दिनांक 12.01.09 अवैध एवं प्रभाव शून्य है ? | 1/7 भाग से अधिक किया गया अवैध एवं प्रभाव शून्य है । |
| 4 | क्या उक्त विवादित भूमि के वादीगण वैध अधिपत्यधारी है ? | प्रमाणित नहीं । |
| 5 | क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वैध अधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ? | प्रमाणित नहीं । |
| 6 | क्या झूरनीबाई ने मूल खसरा नं. 160 रकबा 0.50 डिसमिल संयुक्त स्वत्व की भूमि में से बिना हक अधिकार के 0.38 डिसमिल भूमि विक्रय की थी ? | प्रमाणित नहीं । |
| 7 | सहायता एवं वाद व्यय ? | निर्णय की अन्तिम कण्डिका 17 अनुसार |

-:: सकारण - निष्कर्ष ::-विचारणीय बिन्दु क्रमांक 6 :-

(07) प्रतिवादी साक्षी आशाराम (प्रति.सा.01) के अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 160/1 की भूमि पहले 0.50 डिसमिल थी, जिसमें से सह खातेदार सदाराम, ईशाराम, भागरताबाई, मयाराम, दशाराम, काटनबाई, राटनबाई, सातनबाई, झूरनीबाई के द्वारा उनके हिस्से की 0.38 डिसमिल भूमि दिनांक 20.02.1992 को लीलाबाई को विक्रय की शेष बची 0.12 डिसमिल उसके हिस्से की भूमि थी। तहसीलदार बैहर में उसने उसका नाम राजस्व अभिलेख दर्ज करने हेतु आवेदन किया था। सह खातेदार उपस्थित हुए और राजीनामा के आधार पर राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज हुआ और घरेलू खर्च के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से संताराम को विक्रय की है। वादीगण ने लोभ-लालच में आकर यह दावा पेश किया है।

(08) प्रतिवादी आशाराम के अभिवचनों का समर्थन करते हुए साक्षी पैकराम चौधरी (प्रति.सा.02) के अभिवचन है कि मौजा कटंगी प.ह.नं. 18 र.नि.मं. तहसील बैहर स्थित ख.नं. 160 रकबा 0.50 डिसमिल भूमि सदाराम, ईशाराम, भागरताबाई, मयाराम, दयाराम, काटनबाई, राटनबाई, सातनबाई, झूरनीबाई एवं आशाराम के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसमें से 0.38 डिसमिल भूमि आशाराम को छोड़कर अन्य खातेदारों ने लीलाबाई को विक्रय कर दिया शेष बीच 0.12 डिसमिल भूमि आशाराम के हिस्से बची, जिस पर आशाराम काबिज मालिक है। आशाराम ने उसके हिस्से की बची भूमि ख.नं.160/1 रकबा 0.12 डिसमिल सन्तराम को 15,000/- रुपये में विक्रय कर दी और विक्रय पत्र भी निष्पादित कर कब्जा भी दे दिया है।

(09) वादी साक्षी मयाराम (वा.सा.01) के अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 160/1 रकबा 0.12 डिसमिल उसके पिता गन्नु ने क्रय की थी। गन्नु की मृत्यु पश्चात् गन्नु के वारिस दयाराम, मयाराम, दशाराम, काटनबाई, राटनबाई, सातनबाई, झूरनीबाई एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। दयाराम की मृत्यु के पश्चात् दयाराम के वारिसान भागरताबाई, सदाराम, ईशाराम का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने सह खातेदारों का हिस्सा हड़प करने के उद्देश्य से अविभाजित सम्पत्ति को प्रतिवादी क्रमांक 2 को दिनांक 12.01.2009 को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया, जबकि वादग्रस्त भूमि में सभी खातेदारों का 1/7-1/7 का हिस्सा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में

किया गया विक्रय पत्र वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। वादी मयाराम (वा.सा.01) ने कण्डिका सात में यह स्वीकार किया है कि गन्नु की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 160 रकबा 0.50 डिसमिल भूमि पर गन्नु के सभी वारसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। वादीगण ने 0.50 डिसमिल में से 0.38 डिसमिल भूमि दिनांक 20.02.1992 को लीलाबाई को विक्रय कर कब्जा दे दिया है 0.38 डिसमिल भूमि को वादी सदाराम, ईशाराम, भागरताबाई, मयाराम, दशाराम, काटनबाई, राटनबाई, सातनबाई, झूरनीबाई ने मिलकर विक्रय की है और कण्डिका 08 में यह स्वीकार किया है कि 0.38 डिसमिल भूमि विक्रय के समय राजस्व प्रलेखों में आशाराम का नाम दर्ज रहने के बावजूद भी विक्रय पत्र वादीगण ने निष्पादित करवाया। वादीगण ने अभिवचन किये हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/7 अंश उनके स्वत्व की है किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 पैतृक भूमि में उसका हक व अधिकार होने के बाद भी प्रतिवादी क्रमांक 1 की अनुपस्थिति में 0.38 डिसमिल भूमि वादीगण द्वारा विक्रय की गई हैं।

(10) वादी साक्षी ईशाराम (वा.सा.05) के अभिवचन हैं कि मौजा कटंगी प.ह.नं. 18 रानि.मं. बैहर स्थित ख.नं. 160 रकबा 0.50 डिसमिल मूल पुरुष गन्नु के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज की। गन्नु की मृत्यु के पश्चात् गन्नु के वारिसान दयाराम, मयाराम, दसाराम, आशाराम, काटनबाई, राटनबाई, सातनबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। दयाराम की मृत्यु के पश्चात् दयाराम के वारिसान भागरताबाई एवं सदाराम एवं ईशाराम का नाम दर्ज हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि में से 0.38 डिसमिल भूमि मृतक गन्नु की पत्नी के ईलाज के लिये विक्रय की थी और 0.12 डिसमिल भूमि शेष बीच हुई थी उसे प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 को दिनांक 12.01.2009 को विक्रय कर दी थी। वादग्रस्त कृषि भूमि का बटवारा नहीं हुआ था उसमें सभी सह खातेदारों का 1/7-1/7 भाग का अंश निहित था। विक्रयपत्र वादीगण पर बंधनकारी नहीं हैं विक्रय का प्रभाव शून्य है।

(11) वादी साक्षी नारायण (वा.सा.02) एवं छवीदास (वा.सा.03) तथा तीरथलाल (वा.सा.04) के भी अभिवचन हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि गन्नु के द्वारा क्रय की गई थी। गन्नु की मृत्यु के पश्चात् गन्नु कृषि भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय कर दिया है जो वादीगण पर बंधनकारी नहीं हैं। नारायणदास (वा.सा.02) ने भी कण्डिका 04 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि 0.50 डिसमिल थी, जिसमें से वादीगण ने 0.38 डिसमिल भूमि लीलाबाई को विक्रय कर दी। विक्रय वादी सदाराम, ईशाराम, भागरताबाई, मयाराम, दशाराम, काटनबाई, राटनबाई, झूरनीबाई और सातनबाई ने

निष्पादित कराया था। इसी प्रकार छवीदास (वा.सा.03) ने भी कण्डिका 04 में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम को छोड़कर वादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि में से 0.38 डिसमिल भूमि लीलाबाई को विक्रय की है। साक्षी तीरथलाल (वा.सा.04) ने कण्डिका 05 में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम को छोड़कर सभी भाई-बहन और माँ ने मिलकर लीलाबाई को वादग्रस्त कृषि भूमि 0.50 डिसमिल में से 0.38 डिसमिल विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। इससे प्रतीत होता है कि वादीगण ने उनके हिस्से की 0.38 डिसमिल भूमि लीलाबाई को विक्रय की है।

(12) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से वादग्रस्त कृषि भूमि 0.38 डिसमिल उन्होंने झूरनीबाई के ईलाज के लिये लीलाबाई को विक्रय की थी, किन्तु इस संबंध में वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि वादग्रस्त कृषि भूमि 0.38 डिसमिल झूरनीबाई के ईलाज के लिये विक्रय की थी इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श डी-1 का आवेदन, प्रदर्श डी-2 का आवेदन का जवाब वादीगण की ओर से प्रदर्श डी-3 एवं प्रदर्श डी-4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि 0.38 डिसमिल भूमि वादीगण ने उनके हिस्से की विक्रय कर दी। तदानुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 6 का निष्कर्ष नकारात्मक रूप में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(13) विचारणीय बिन्दु क्रमांक 6 के निष्कर्ष से एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श डी-1 का आवेदन, प्रदर्श डी-2 का आवेदन का जवाब वादीगण की ओर से प्रदर्श डी-3 एवं प्रदर्श डी-4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि 0.38 डिसमिल भूमि वादीगण ने उनके हिस्से की विक्रय कर दी, किन्तु वादग्रस्त भूमि 0.50 डिसमिल में से 0.38 डिसमिल भूमि वादीगण ने झूरनीबाई के ईलाज के लिये विक्रय की थी इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि वादग्रस्त भूमि में से वादीगण ने 0.38 डिसमिल भूमि झूरनीबाई के ईलाज के लिये विक्रय की थी। वादग्रस्त भूमि में से शेष 0.12 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के हिस्से की भूमि है। वादी ईशाराम ने राजीनामा आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किये। प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 सन्तराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2009 की वैधता का प्रश्न है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्रतिवादी क्रमांक 2 को किया गया विक्रय पत्र 0.12 डिसमिल भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं था, इसलिये प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि में

से उसके हक व हिस्से की 1/7 भाग की सीमा तक प्रतिवादी क्रमांक 2 को किया गया विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2009 वैध है, 1/7 भाग से अधिक भूमि का किया गया विक्रय पत्र का प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 को 1/7 भाग से अधिक सीमा में किया गया वादग्रस्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र वादीगण पर बन्धनकारी नहीं है। तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का निष्कर्ष सकारात्मक में अंकित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 4 एवं 5 :-

(14) वादीगण ने वादपत्र की कण्डिका 3 में यह अभिवचन किये है कि वादग्रस्त भूमि मौजा कटंगी प.ह.नं. 18 रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 160/01 रकबा 0.12 डिसमिल भूमि स्थित पर सभी खातेदारों की सहमति से मयाराम का कब्जा है। किन्तु प्रस्तुत दस्तावेज खसरा प्रदर्श पी-03 किशतबन्दी प्रदर्श पी-04 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा दर्शाया गया। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि प्रतिवादीगण क्रमांक 2 ने वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। तदनुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 4 एवं 5 का निष्कर्ष नकारात्मक में अंकित किया जाता है।

सहायता एवं व्यय :-

(15) विचारणीय बिन्दु क्रमांक 6 एवं 1 व 2 तथा 3 के निष्कर्ष एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श डी-1 का आवेदन, प्रदर्श डी-2 का आवेदन का जवाब वादीगण की ओर से प्रदर्श डी-3 एवं प्रदर्श डी-4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि 0.38 डिसमिल भूमि वादीगण ने उनके हिस्से की विक्रय कर दी शेष बची 0.12 डिसमिल भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के हिस्से की भूमि है। वादी ईशाराम ने राजीनामा आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किये। प्रतिवादी क्रमांक 1 आशाराम के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 सन्तराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2009 की वैधता का प्रश्न है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्रतिवादी क्रमांक 2 को किया गया विक्रय पत्र 0.12 डिसमिल भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। इस कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादग्रस्त भूमि में से उसके हक व हिस्से की 1/7 भाग की सीमा तक प्रतिवादी क्रमांक 2 को किया गया विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2009 वैध है, 1/7 भाग से अधिक भूमि का किया गया विक्रय पत्र का प्रभाव शून्य है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर वादग्रस्त भूमि मौजा कटंगी प.ह.नं.

18 रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर, जिला बालाघाट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 160/01 रकबा 0.12 डिसमिल भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 को उसके हक व हिस्से की 1/7 भाग भूमि से अधिक का किया गया विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2009 का प्रभाव शून्य होकर वादीगण पर बन्धनकारी नहीं है।

(17) वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

- 01- प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 को विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2009 में 1/7 भाग से अधिक किया गया विक्रय प्रभावशून्य है।
- 02- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 03- अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या नियमानुसार जो भी कम हो देय हो।
- तदनुसार जय-पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(डी.एस.मण्डलोई)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)